पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 724

काको थाना कांड संख्या -21/2023, जिला-जहानाबाद से उत्पन्न

==

मनीष राज उर्फ मनी कुमार उर्फ मनीष कुमार, पिता- मनोज कुमार विद्यार्थी निवासी ग्राम- नवादा, थाना-काको, जिला-जहानाबाद ।

..........याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य गृह सचिव के माध्यम से, बिहार सरकार, पटना, बिहार
2. पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना बिहार
3. पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद बिहार
4. उप पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद बिहार
5. एस. एच. ओ. काको थाना (ओ. पी.-वेलाबार), जिला-जहानाबाद बिहार
6. अधीक्षक वृहद आश्रय, नवादा बिहार

...........प्रतिवादी

==

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्रीमति कुमारी अंजनी सिन्हा

प्रतिवादियों के लिए : महाअधिवक्ता

==

विचाराधीन मुद्दा :_प्रतिवादियों द्वारा अल्पावास गृह- याचिकाकर्ता की पत्नी और बालिग होने का दावा -लड़की को अवैध रूप से प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से कैद करने के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के निर्देश जारी करने के लिए रिट_

क्या वर्तमान रिट शॉर्ट स्टे होम (अल्पवास गृह) में उत्तरदाताओं द्वारा अवैध कारावास के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के निर्देश जारी करने के लिए बनाए रखने योग्य है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता की पत्नी होने का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि वह एक वयस्क है

निर्णय दिया गया : _रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पीड़िता अभी भी नाबालिग है। इसके अलावा, इस अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुसरण में, पीड़िता की मां अदालत के समक्ष पेश हुई और उसने कहा कि वह अपनी बेटी को रखने से डरती है। याचिकाकर्ता का आपराधिक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पीड़िता नाबालिग है और उसकी मां पीड़िता को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पीड़िता को शॉर्ट स्टे होम (अल्पवास गृह) में रखा गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने वैध मामला नहीं बनाया है क्योंकि पीड़िता का कोई अवैध कारावास नहीं है।_

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 724

काको थाना कांड संख्या -21/2023, जिला-जहानाबाद से उत्पन्न

==

मनीष राज उर्फ मनी कुमार उर्फ मनीष कुमार, पिता- मनोज कुमार विद्यार्थी निवासी ग्राम- नवादा, थाना-काको, जिला-जहानाबाद ।

..........याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य गृह सचिव के माध्यम से, बिहार सरकार, पटना, बिहार
2. पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना बिहार
3. पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद बिहार
4. उप पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद बिहार
5. एस. एच. ओ. काको थाना (ओ. पी.-वेलाबार), जिला-जहानाबाद बिहार
6. अधीक्षक वृहद आश्रय, नवादा बिहार

...........प्रतिवादी

==

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्रीमति कुमारी अंजनी सिन्हा

प्रतिवादियों के लिए : महाअधिवक्ता

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. बजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

कैव जजमेंट

निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे)

तिथि: 06-05-2024

वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः

(i) प्रतिवादियों द्वारा (याचिकाकर्ता की पत्नी) को किए गए अवैध कारावास से उपस्थिति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट, जारी करने के लिए, क्योंकि वह एक विवाहित वयस्क लड़की है।

(ii) प्रतिवादियों से कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है।

2. वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, पीड़िता के साथ-साा उसके रिश्तेदार का नाम उसकी पहचान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उजागर नहीं किया गया है ।

3. संक्षेप में मामले के तथ्यों को बताया गया है कि कहा जाता है कि पीड़िता को याचिकाकर्ता द्वारा बुरे इरादे से बाहर निकाला गया था और वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है जिसमें याचिकाकर्ता की पत्नी/पीड़िता को अवैध कारावास से रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई है क्योंकि वह बालिग है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता, जिसे याचिकाकर्ता की पत्नी होने का दावा किया जाता है, बालिग है और उसे प्रतिवादी प्राधिकार द्वारा शॉर्ट स्टे होम (अल्पावास गृह) में अवैध रूप से बंद कर दिया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने बड़ी लड़की (पीड़िता) के साथ अपनी शादी कर ली है और वह अपनी पत्नी के साथ रहने का हकदार है। विद्वान

वकील ने आगे कहा कि निबंधक (जन्म और मृत्यु), नगर परिषद, जहानाबाद, द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 14.08.2004 है।

5. राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि स्कूल प्रवेश रजिस्टर के अनुसार, पीड़िता की जन्म तिथि 04.08.2007 है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा जारी पीड़ित की मार्कशीट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि पीड़ित की जन्म तिथि 04.08.2007 है और उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम है। इस तरह पीड़िता नाबालिग है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता अभी भी नाबालिग है। इसके अलावा, इस अदालत द्वारा पारित दिनांक 24.04.2024 के आदेश के अनुसरण में, पीड़िता की माँ अदालत के समक्ष पेश हुई और उसने कहा कि वह अपनी बेटी को रखने से डरती है। याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़ित नाबालिग है और उसकी माँ पीड़ित को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान में, पीड़िता को अल्पकालिक आवास (अल्पावास गृह) में रखा गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि पीड़िता को अवैध रूप से कैद नहीं किया गया है।

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान सी.आर.डब्लू.जे.सी चलने योग्य नहीं है और उसे खारिज किया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहज़ाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।